

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2020 — कार्तिक 7, शक 1942

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-3/2017/रास/यू.-14. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) के निहित प्रावधान अंतर्गत आई. सी. एफ. ए. आई. विश्वविद्यालय, दुर्ग में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची (पेनल) प्रस्तुत करने हेतु माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार खोजबीन-समिति का गठन किया गया है :-

- | | | | |
|----|---|---|--------------------|
| 1. | Prof. T Tirupati Rao,
Former Vice Chancellor,
Osmania University,
Hyderabad | प्रायोजक निकाय
(आई. सी. एफ. आई. विश्वविद्यालय)
द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त
शिक्षाविद | - समिति
अध्यक्ष |
| 2. | Prof. Y R Haragopal Reddy,
Former Vice Chancellor,
Acharya Nagarjuna University,
Nagarjuna Nagar, Guntur | प्रायोजक निकाय
(आई. सी. एफ. आई. विश्वविद्यालय)
द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त
शिक्षाविद | - समिति
सदस्य |
| 3. | डॉ. एच. एस. कर,
अपर संचालक,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर, जिला रायपुर | उच्च शिक्षा विभाग राज्य शासन
द्वारा नामांकित एक ख्यातिप्राप्त
व्यक्ति | - समिति
सदस्य |

2. माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा Prof. T Tirupati Rao को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
3. उपर्युक्त समिति यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की समय अवधि में न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची (पेनल) माननीय कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-

(रोक्तिमा यादव)
राज्यपाल के उप-सचिव.